आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
20/12/2021	**न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस०ए०आर० पुनरीक्षण वाद 39/2015** **विजय मुण्डा व राम प्रसाद मुण्डा** **बनाम्** **अशोक साहु** **आदेश** एस०ए०आर० पुनरीक्षण वाद –39/2015, विजय मुण्डा व राम प्रसाद मुण्डा के द्वारा अशोक साहु के विरूद्ध दायर किया गया था जिसमें उपायुक्त, रांची द्वारा एस.ए..आर. अपील 63/R-15/2011-12 में पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। इस वाद में प्लॉट नं– 1678, रकवा 1.55 एकड़, प्लॉट 3661, रकवा 0.35 एकड़ कुल 1.90 एकड़, खाता नं 497, ग्राम– रातु की भूमि से सन्निहित है। प्रशनगत वाद में आवेदक की अनुपस्थिति के कारण 21.09.2020 को एक पक्षीय सुनवाई का आदेश दिया गया था उसके पश्चात् भी मात्र विपक्षी उपस्थित रहे तथा आवेदक अनुपस्थित रहे। दिनांक 30.11.2021 को पुनः आवेदक के अनुपस्थित रहने की स्थिति में 06.12.2021 को एक पक्षीय सुनवाई का निर्णय लिया गया था। उक्त तिथि को आवेदक के अधिवक्ता उपस्थित हुए। आवेदकों का दावा है कि प्रश्नगत भूमि जरपेसगी के रूप में राम लगन साहु एवं रूपलाल साहु को दी गई थी किंतु उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात विपक्षियों के द्वारा उक्त भूमि को अवैध रूप से दखल कर लिया गया। उक्त भूमि भूइहारी भूमि है, जिससे 1942 में किये गये कथित हुकुमनामा को मान्यता नही दी जा सकती है। निम्न न्यायालय द्वारा इस बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए इस वाद को कालबाधित घोषित किया गया। ऐसा कोई तथ्य नही है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रश्नगत भूमि 1968 में हस्तांतरित की गई थी। उक्त के आलोक में निम्न न्यायालय के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

विपक्षी इस वाद में नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित रहे है। विपक्षी के तरफ से कहा गया है कि वर्ष 1907 में मंगरा मुण्डा जो वर्त्तमान आवेदक के परदादा थे, के द्वारा 120 रू0 सलामी के आधार पर मॉरगेज किया गया था, उसी समय से उनके पूर्वज भूमि के दखलकार है। खतियान के कैफियत कॉलम में यह इन्द्राज भी दर्ज है। 1942 में भुइरीदार ने विवादित भूमि को हुकुमनामा द्वारा बन्दोबस्त किया गया था तथा उन्हें लगान रसीद भी निर्गत किया गया है। इस प्रकार प्रश्नगत् भूमि पर विगत 100 वर्षों से विपक्षियों का ही दखल रहा है। रूपलाल साहू की विधवा धनवा देवी द्वारा 1968 में उक्त भूमि निबंधित केवाला के माध्यम से अन्य विपक्षियों को बिक्री कर दी। तब से वे ही उक्त भूमि के दखलकार है, तथा हाल सर्वे में उक्त भूमि का खाता पुरूषोतम दास, गौरी साहु आजाद और लुजम साहु के नाम से दर्ज किया गया। इस प्रकार यह भूमि वापसी वाद पूर्णतः कालबाधित है।

दिनांक 28.05.2019 को विपक्षी के तरफ से यह सूचित किया गया कि आवेदकों के द्वारा प्रश्नगत भूमि के लिए व्यवहार न्यायालय में टाईटल सूट 41/2017 दायर किया गया है, जिसमें समान पक्षकार है एवं समान भूमि सन्निहित है।

उभय पक्षों की सुनवाई तथा कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है, कि प्रश्नगत भूमि भूइहारी भूमि के रूप में मंगरा मुण्डा के नाम दर्ज थी तथा 1907 में निबंधित मोरगेज के माध्यम से 120 रू0 सालामी पर उक्त भूमि को रामलगन साहु एवं रूपलाल साहु को दिया गया था। उसी समय से ये दोनों व्यक्ति उक्त भूमि के दखलकार हुए। पुनः 1942 में भूइहारीदार द्वारा एक हुकुमनामा इन व्यक्तियों के साथ किया गया। वर्त्तमान प्रतिवादियों को यह भूमि रूपलाल साहु की विधवा धलवा देवी के द्वारा 1968 में हस्तांतरित की गई है। भूमि वापसी का यह दावा प्रथम बार वर्ष 2004–05 में प्रस्तुत किया गया जो 1907 के हस्तांतरण के आधार पर 97 वर्ष एवं 968 के हस्तांतरण के आधार पर 36 वर्षों के पश्चात् दायर किया गया है। इस दौरान हुए सर्वे इन्द्राजों में भी विपक्षियों के नाम रहे है तथा आवेदकों के तरफ से कभी भी इन सर्वे के इन्द्राज को चुनौती नही दी गई है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक प्रश्नगत भूमि के इस अवधि में कभी भी दखलकार नही हुए। इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद लंबित रहते हुए आवेदकों के तरफ से इसी भूमि को लेकर इन्हीं विपक्षियों के साथ व्यवहार न्यायालय में टाईटल सूट भी दायर किया गया है। उल्लेखनीय है कि व्यवहार न्यायालय में दायर अपने आवेदन में

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	आवेदकों के द्वारा 71A के तहत् पारित आदेशों का कोई उल्लेख नही किया गया है तथा व्यवहार न्यायालय में भूत–पूजा करने हेतु अनुमति की मांग की गई है। इस न्यायालय में आवेदकों के द्वारा इस तथ्य को छुपाया गया हैं। प्रश्नगत विषय पर व्यवहार न्यायालय में वाद दर्ज है। स्पष्टतः आवेदकों की मंशा उचित नही कही जा सकती है। आवेदकों के द्वारा 1907 में किये गये निबंधन पत्र, मोरगेज पत्र तथा 1942 के हुकुमनामा को फर्जी करार किया गया है, किंतु इस निष्कर्ष के लिए कोई आधार अथवा तर्क प्रस्तुत नही किया गया है। भूमि वापसी का यह आवेदन पुर्णतः यह कालबाधित है तथा निम्न न्यायालय द्वारा विषय की विस्तृत समीक्षा करते हुए अंतिम आदेश पारित किये गये है। पुनः इस न्यायालय के समक्ष आवेदकों के द्वारा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नही किया गया है, अपितू व्यवहार न्यायालय में चल रहे कार्रवाई को छुपाया गया है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण वाद को मान्य करने का कोई आधार नही है। अतः इस पुनरीक्षण को वाद को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। आयुक्त। 20/11/20 आयुक्त। 20/11/20	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.21 15:41:46 +05:30
Location: 192.168.1.40